न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 137 / 2022 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 23.09.2022

उनवान

1. गोकल पिता भज्जा जाति अहीर आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता गंगाराम जाति अहीर आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
1. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तह० कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिववक्ता श्री मोहनलाल गाडरी —प्रार्थी

अधिववक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा —अप्रार्थी संख्या 1

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

—ः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 22.04.2025

—ःनिर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के तहत निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया कि यह कि यह कि ग्राम बनाकिया कला प०ह० बनाकिया कला तहसील कपासन के हल्के बेरूनी मे हाल आराजी नम्बर 2459 रकबा 0.11 है० किस्म आ०चा० (कुआं) जिसके साबिक आराजी नम्बर 686 रकबा 11 बिस्वा स्थित थे जो मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी एवं अन्य खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होकर सामलाती उपयोग उपभोग का है। उक्त कुए के सटमा अप्रार्थी मांगीलाल की आराजी न० 2460 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चाही है जिसके साबिक नम्बर 685 थे, एवं उसके निचे मुझ प्रार्थी की हाल आराजी न0 2451 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म चाही है जिसके साबिक आराजी न0 667 थे।

यह कि हाल आराजी न0 2459 आ०चा० (कुआ) सामलाती से मुझ प्रार्थी की हाल आराजी न0 2451 मे पहुचने के लिये अप्रार्थी स० 1 मागीलाल की आराजी न० 2460 मे उत्तरी पाली सीमा से होकर फसल काश्त हकाई जुताई, निराई गुडाई हेतु एवं फंसल पिलाई, मवेशी, कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने, उपयोग उपभोग रास्ते का बाप दादाओ के समय से लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से आते जाते रहे है एवं रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है। जिसका अंकन भी साबिक नक्शे मे डोटेड लाईन राजस्व रेकार्ड मे अंकित है सिबुत हेतु साबिक नक्शा, साबिक जमाबन्दी, एवं हाल नक्शा एवं हाल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से अंकित किया है। नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है ।

यह कि प्रार्थी दिनाक 12.09.2022 को प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात मे फसल कटाई व काश्त कार्य करने के लिए अपने आराजीयात मे अप्रार्थी की आराजी संख्या 2460 की उत्तरी पाली (सीमा) मे होकर जाने लगा तो अप्रार्थी ने आने जाने के लिए मना कर दिया और प्रार्थी को मां बहनो की गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और अप्रार्थी ने धमकी दी कि आयन्दा हमारी उक्त आराजी 2460 की उत्तरी दिशा की मेर पर होकर गये तो तुम लोगो को जान से ही खत्म कर देगे प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात पर ही आश्रित होकर फसल काश्त कर अपना भरण पोषण करते है एवं अप्रार्थी की आ०स० 2460 की उत्तर दिशा की मेर का रास्ता बन्द कर दिया इस कारण प्रार्थी को अपने आराजीयात मे आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग कर फसल काश्त भी नही कर पा रहा है एवं अप्रार्थी प्रार्थी की आराजीयात का रास्ता अवरूद्व कर प्रार्थी की आराजीयात पर भी जबरन कब्जा करने पर आमादा है।

यह कि कालम स० 2 मे वर्णित प्रार्थी की आराजीयात मे आने जाने व फसल काश्त करने अप्रार्थी की आराजीयात स० 2460 के उत्तर दिशा की मेर के अलावा प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने के लिये सबसे लघुतम रास्ता यही है तथा वर्तमान मे अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

अप्रार्थी द्वारा आ०स० 2460 के उत्तरी दिशा की मेर पर स्थित रास्ते पर होकर आने जाने के लिए रोका रास्ता अवरूद्व कर दिया जिसको तत्कालीन स्थिति मे चालु करवा कर उक्त रास्ते को रेकार्ड मे दर्ज कर को अपनी आराजीयात मे आने जाने के लिये नही रोके इस आशय से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ससे मुझ प्रार्थी को अपार नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयो पैसो मे नही आंकी जा सकती है।

यह कि प्रार्थी अप्रार्थी को उक्त रास्ते के लिये डी०एल०सी दर या श्रीमान के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

यह कि दिनाक 12.09.2022 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे होकर आने जाने से रोका व उक्त रास्ते को अवरूद्व कर नष्ट कर दिया व मां बहनो की गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हुये जिससे प्रार्थना पत्र हेतुक पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

प्रार्थी की प्रार्थना है कि–

– पक्षप्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का आदेश जारी फरमाया जावे कि कालम स० 2 मे वर्णित प्रार्थी की आराजी स० 2451 मे आने जाने व खाली भरी बैलगाडी लाने ले जाने के लिए व फसल काश्त करने के लिए अप्रार्थी स० 1 की आ०स० 2460 की उत्तर दिशा की पाली (सीमा) पर रेकार्ड मे रास्ता कायम करके अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थी को अपनी आराजीयात मे आने जाने के लिए नही रोके, नही ऐसा कृत्य स्वंय करे न ही अपने परिवारजन, नोकर, एजेन्ट आदि से भी नही करावे। नवीन रास्ता दिलाया जाकर अप्रार्थी की आराजी स0 2460 की उत्तरी दिशा की पाली (सीमा) पर रेकार्ड मे दर्ज कराने हेतु अप्रार्थी स० 2 को आदेश फरमावे व मौके पर रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0 का जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–**

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 1 वर्णित कथन आंशिक स्वीकार है कि आराजी संख्या 2459 आ.चा. कुआ स्थित है। शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 2 वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थी आराजी संख्या 2451 पर जाने के लिये आराजी संख्या 2460 की उत्तरी मेड का उपयोग करने का कथन पुर्णतया मिथ्या व निराधार है। प्रार्थी आराजी संख्या 2451 में जाने हेतु आराजी संख्या 2460 के दक्षिण पुवी कोने से होकर आराजी संख्या 2444 की पुर्वी मेड पर होकर आराजी संख्या 2444 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होकर 2442 आ.चा. से होते हुए अपनी दिगर आराजीयात में पंहुचता है व वहीं से आराजी संख्या 2451 मे आराजी संख्या 2447 की पुर्वी मेड से होकर पहुंचता है मौके पर उक्त रास्ता बना हुआ है। जबकि प्रार्थी द्वारा कालम वर्णित रास्ता मौके पर कभी भी मौजूद नही रहा है। न ही बताये स्थान पर रास्ता निकाला जाना संभव है क्योकि नजरी नक्शे में चाहे गये स्थान पर काफी वृक्ष खडे है उक्त आराजी संख्या 2460 की उत्तरी मेड पर कादमी रूप से कोई रास्ता नही रहा है न ही आज दिनांक से पुर्व बैल गाडी, मवेशी, ट्रेक्टर लाने लेजाने हेतु प्रार्थी व उसके पुर्वजो द्वारा उपयोग उपभोग किया गया है। सही नजरी नक्शा जवाब के साथ पेश है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 3 वर्णित कथन अस्वीकार है। आराजी संख्या 2460 की उत्तरी मेड पर काफी वृक्ष खडे है व उत्तरी मेड की तरफ से हकाई जुताई हेतु जाना संभव भी नही है इस लिये प्रार्थी ने कालम में झुठे कथन किये है। जिससे दिनांक 12/09/2022 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। आराजी संख्या 2460 में कोई रास्ता ही नही था ऐसे में बंद करने के कथन मिथ्या एवं निराधार है। अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद करने के कथन पुर्णतया झुठे है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 4 वर्णित कथन अस्वीकार है । वेकल्पिक रास्ता मौजुद है जिसे जवाब के साथ नजरी नक्शे मे बताया गया है। जिसका उपयोग कर प्रार्थी उक्त आराजीयात पर काश्त करता चला आ रहा है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 5 वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थी का नुकसानी का कथन झुठा है। प्रार्थी ने मात्र एक नया रास्ता कायम कराने हेतु झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी लम्बे समय से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करते हुए काश्त कर रहे है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 6 वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थी डीएलसी दर पर अप्रार्थी की भुमि को रास्ते में तबदील कराना चाहता है। जो की उक्त आराजीयात आबादी के निकट है व डीएलसी से बाजार किमते चार गुणा अधिक है। वैकल्पिक रास्ता होने से नया रास्ता कायम कर कृषि आराजीयात को कम किया जाना विधि व न्याय के प्रतिकुल है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 7 वर्णित कथन अस्वीकार है। दिनांक 12/09/2022 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। नजरी नक्शा बताये रास्ते पर बडे बडे वृक्ष है जिससे यह कथन कि रास्ते को नष्ट कर दिया व अवरुद्ध कर दिया यह पुर्णतया मिथ्या व निराधार है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 8 व 9 विचारणीय न्यायालय हो जवाब की आवश्यकता नही है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 10 वर्णित संलग्न नजरी नक्शा गलत होने से अस्वीकार है। शेष कथन विचारणीय न्यायालय हो जवाब की आवश्यकता नही है।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 11 विचारणीय न्यायालय हो जवाब की आवश्यकता नही है ।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 12 वर्णित शपथ पत्र झुठा हो अस्वीकार है। जवाब की पुष्टि में सही सही शपथ पत्र पेश है।
12. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 13 वर्णित प्रार्थना अस्वीकार है।

अत श्रीमान से प्रार्थना है कि अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे। विकल्प में निवेदन है प्रार्थी को यदि चाहा गया रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है तो क्षतिपुर्ति प्रार्थी की आराजी संख्या 2451 के पुर्वी दिशा जो अप्रार्थी की आराजीयात से सलग्न है से रास्ते की भुमि के बदले भुमि दिलाने का आदेश प्रदान करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2023 प्राप्त होकर दिनांक 12.12.2023 को शा0फा0 की गई। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)
   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी मौजा बनाकिया कलां की आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।
   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है।
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।
   अप्रार्थीगण रास्ते के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात नहीं चाहते है। असहमति
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।
   सहमति के प्रयास किये परन्तु सहमति नहीं बनी।
5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तांवित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)
   लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित अनुसार
   आ0नं0 2460 में से 236 वर्गमीटर (59 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)
   कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 0.0236 हैक्ट0 है।

वकील उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र रास्ते हेतु जमीन की एवज में जमीन दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी नं0 2460 में से 236 वर्गमीटर (59 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई) रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 2451 पर पहुंच हेतु दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी को आराजीयात 2451 में से समानान्तर रकबा अप्रार्थी की आराजी संख्या 2460 में दिया जावें जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहमत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला-चित्तौड़गढ़ •

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

...यपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। ...त का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली अवलोकन व तहसीलदार कपासन की मौका रिपोर्ट अनुसार ...की आराजीयात पर पहुंच हेतु मार्ग उपलब्ध नही है अतः उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति ...स्ते हेतु जमीन की एवज में जमीन दिलाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना ...अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजीनामें से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा बनाकियाकलां पटवार हल्का बनाकियाकलां तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 2451 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा बनाकियाकलां की आ.न. 2460 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 2460 में से 59मी0 × 4मी0 कुल क्षेत्रफल 0.0236 हैक्ट0 है जिसका दिनांक 23.12.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम रास्ता कायम किया जावें। उक्त भूमि के एवज में अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी की आराजी संख्या 2451 रकबा 0.42 हैक्ट0 में से प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल के समान्तर रकबा अप्रार्थी की आराजी संख्या 2460 से लगता हुआ अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज किया जावें। आराजी संख्या 2460 से प्रस्तावित बिलानाम रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर बिलानाम रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़

([illegible])
(उपखण्ड अधिकारी) व
[illegible] कपासन